भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2642

दिनांक 24.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

2642 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) चरण। और चरण-॥ के अंतर्गत वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित और उपयोग की गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से शौचालयों, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और सीवेज निपटान सुविधाओं के निर्माण और रख-रखाव में ग्राम सभाओं को शामिल किया है, यदि हां, तो उन्हें शामिल किए जाने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मिशन के भाग के रूप में गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, देश में एसएलडब्ल्यूएम सुविधाओं वाले गांव कौन-कौन से हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): 2014-15 से 2022-23 तक एसबीएम (जी) के तहत केंद्र स्तर पर आवंटित और उपयोग की गई सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) निधि निम्नानुसार है :-

रुपए लाख में

वर्ष	आबंटन	उपयोग
2014-15	9732.83	9732.55
2015-16	16050.00	16050.00
2016-17	23485.58	23485.57
2017-18	32016.18	32016.18
2018-19	12000.00	11404.23
2019-20	12873.00	3800.79
2020-21	3000.00	1613.65
2021-22	2055.00	1604.46
2022-23	4516.00	4485.10

स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को घटक-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईईसी सहित विभिन्न घटकों के लिए अपनी निधियों का आबंटन और उपयोग करने की छूट है। तथापि, एसबीएम (ग्रामीण) चरण-II के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी उद्देश्यों के लिए कुल व्यय के केवल 3% तक का उपयोग कर सकते हैं। तदनुसार, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक आईईसी के लिए निधियों का उपयोग राज्य-वार और वर्ष-वार अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख): एसबीएम (जी) चरण-II के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को एसबीएम (जी) चरण-II कार्यक्रम के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल होना है। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एसएचजी सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ ग्राम पंचायतों पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए विचार किया जाता है, जिसमें मांग सृजन और सुविधाओं का निरंतर उपयोग, क्षमता निर्माण, निर्माण में सहायता तथा स्वच्छता सुविधाओं का निरंतर उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (वीडब्ल्यूएससी) कार्यक्रम के जुटाने, कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों की उप-समिति के रूप में गठित की जाती हैं। तथापि, वीडब्ल्यूएससी की संरचना और कार्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य/जिला स्तर पर तैयार की गई योजना के अनुसार वीडब्ल्यूएससी सदस्यों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग): ग्रेवाटर प्रबंधन सोख्ता गड्ढों के माध्यम से, यथा संभव रूप से, अथवा अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि, विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) आदि जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अशोधित अपशिष्ट जल निकायों के पानी में मिश्रित नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी कैंटर सहित) के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात् बायो-डिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्रणाली की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। एसडब्ल्यूएम प्रणाली में एसडब्ल्यूएम का संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण और प्रबंधन शामिल है। यथा आवश्यकता अनुसार निकटवर्ती शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)/मलीय गाद शोधन संयंत्र (एफएसटीपी) सुविधाओं में सह-शोधन के माध्यम से अथवा आवश्यकतानुसार ट्रेंचिंग अथवा एफएसएम संयंत्र की स्थापना के माध्यम से मलीय गाद प्रबंधन (एफएसएम)। ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पीडब्लूएमयू) की स्थापना के लिए प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये का प्रावधान है।

*****

अनुबंध-1

दिनांक 24.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2642 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, 2014-15 से 2022-23 तक एसबीएम (जी) के तहत आईईसी व्यय

रुपए लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		1.48	5.08	11.96	5.03	14.23	7.10	5.20	1.75
2	आंध्र प्रदेश	2397.61	396.21	0.00	1528.99	5633.59	1728.88	955.91	694.00	1665.00
3	अरुणाचल प्रदेश	207.93	352.01	902.25	1159.92	721.37	1256.02	209.98	329.45	0.00
4	असम	979.64	785.68	1538.32	3714.15	3977.38	5624.32	3262.82	2327.43	531.40
5	बिहार	975.63	2975.62	328.13	3312.54	10811.47	3294.89	1390.08	823.85	1952.28
6	छत्तीसगढ	286.59	243.70	496.60	1173.27	360.00	660.33	875.40	486.90	266.90
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	0.65	0.00	0.03	0.02
8	गोवा	49.59	6.12	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	गुजरात	733.11	3083.83	988.14	1659.27	3019.46	3326.19	620.47	1312.55	981.07
10	हरियाणा	355.90	394.58	650.46	683.64	799.47	438.25	361.63	411.10	181.00
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	196.21	1.00	68.22	152.12	94.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	263.61	323.37	327.32	632.96	662.00	460.07	271.06	537.94	101.00
13	झारखंड	905.69	731.33	1332.80	2464.54	3146.17	3864.44	2316.57	748.00	734.05
14	कर्नाटक	629.93	1303.15	717.31	1298.04	1462.96	3650.70	1713.82	854.24	438.00
15	केरल	306.45	527.31	293.04	830.14	181.15	217.82	145.65	206.06	50.00
16	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	14.64	2.88
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
18	मध्य प्रदेश	1559.16	759.84	856.88	2910.98	3359.29	1448.23	1354.07	1541.00	745.00
19	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.53	4364.00	2286.00
20	मणिपुर	190.08	183.72	417.14	313.66	671.81	908.22	86.06	23.27	
21	मेघालय	173.71	263.41	403.19	412.85	495.16	0.00	411.00	165.00	205.00
22	मिजोरम	40.09	29.87	35.95	154.09	211.87	33.60	29.14	27.67	0.01
23	नागालैंड	185.88	115.14	494.97	313.61	368.18	82.85	149.97	21.76	51.20
24	ओडिशा	644.45	798.92	895.00	1841.30	2942.86	4169.16	2910.66	1575.46	1655.67
25	पुदुचेरी	0.00	8.78	5.63	1.76	3.04	15.38	23.89	3.79	13.94
26	पंजाब	177.96	97.82	171.97	244.56	298.33	165.78	267.15	230.38	192.94
27	राजस्थान	370.39	432.28	567.37	2313.56	5858.37	9433.40	6273.57	5982.04	218.00
28	सिक्किम	70.34	86.01	92.74	70.57	121.43	76.17	16.17	4.11	32.00
29	तमिलनाडु	827.20	1936.02	1063.18	2573.22	2970.11	3001.59	1300.99	814.47	447.36
30	तेलंगाना	106.02	528.97	640.50	678.56	1608.43	441.90	122.24	940.00	705.00
31	त्रिपुरा	138.45	189.27	85.22	195.40	359.75	366.34	182.07	96.04	35.00
32	उत्तर प्रदेश	1211.59	676.11	1900.71	7784.75	15953.84	3599.38	2335.00	1681.67	9284.15
33	उत्तराखंड		97.40	165.49	457.71	1250.61	255.91	28.11	0.00	0.00
34	पश्चिम बंगाल	1831.28	2533.25	4634.12	4051.54	3773.19	1501.69	1910.19	1082.21	1253.00
कुल		**15618.28**	**19861.21**	**20023.95**	**42787.54**	**71244.75**	**50037.39**	**30189.08**	**27456.38**	**24125.39**